उत्तर प्रदेश विधान परिषद्,

के

सन् २००७ के

प्रथम सत्र

(दिनांक १८ जनवरी से ६ मार्च, २००७ तक)

एंव

द्वितीय सत्र

(दिनांक २१ मई से २३ मई, २००७ तक)

में कृत कार्यो का

संक्षिप्त सिंहावलोकन

संसदीय अनुभाग
विधान परिषद् सचिवालय,
उत्तर प्रदेश
द्वारा प्रकाशित

प्राक्कथन

उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के वर्ष २००७ के प्रथम सत्र (दिनांक १८ जनवरी, से ६ मई,२००७ तक) एंव द्वितीय सत्र (दिनांक २१ मई से २३ मई, २००७ तक) में कृत कार्यो का संक्षिप्त विवरण तैयार किया गया है, जिसमें यथासम्भव सांख्यकीय सूचनाओं के साथ वर्तमान माननीय सदस्यों की सूची एंव अन्य महत्वपूर्ण सूचनाओं को भी समावेशित किया गया है ।

आशा है कि उक्त प्रकाशन आपके लिये उपयोगी सिद्ध होगा ।

लखनऊ
दिनांक २६ जून, २००७

माताम्बर सिंह,
प्रमुख सचिव।

क्रम–सख्या	विषय	पृष्ठ–सख्या
१	विधान परिषद् का प्रथम सत्र	१
२	अधिष्ठाता मण्डल	२
३	शोकोद्‌गार	३
४	श्री राज्यपाल का अभिभाषण	४
५	सदन से अनुपस्थित	५
६	विधायी कार्य	६.६
७	प्रश्न	१०
८	सूचनांए	११
९	सदन की मेज पर रखे गये पत्रादि एंव आश्वासित	१२.१५
१०	मंत्रियों द्वारा दिये गये वक्तव्य	१६
११	समितियों के प्रतिवेदन	१७
१२	सरकारी प्रस्ताव	१८
१३	मुख्य सचेतक की मान्यता	१९
१४	सरकार से गठबन्धन समाप्त	२०

उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के अधिकारीगण

१–सभापति	चौधरी सुखराम सिंह यादव
२–उप सभापति	पद रिक्त
३–प्रमुख सचिव	श्री माताम्बर सिंह

विधान परिषद् में दलीय नेताओं की सूची

क्र०सं०	दल का नाम	दलीय नेता का नाम
१	समाजवादी पार्टी	श्री राम शरण दास गूजर
२	भारतीय जनता पार्टी	डा० नैपाल सिंह "प्रो०" (नेता विरोधी दल)
३	बहुजन समाज पार्टी	श्री कमला कान्त गौतम
४	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (आई)	श्री नसीब पठान (उपनेता)
५	राष्ट्रीय लोक दल	श्री हरि सिंह ढिल्लो
६	समाजवादी जनता पार्टी(राष्ट्रीय)	श्री रवि शंकर सिंह "पप्पू"
७	शिक्षक दल (गैर राजनीतिक)	श्री ओम प्रकाश शर्मा

(उत्तर प्रदेश विधान मण्डल के एक साथ समवेत् दोनों सदनों के सदस्यों को दिनांक १८ जनवरी, २००७ को पूर्वाहन् ११–३० बजे विधान सभा मण्डप में महामहिम राज्यपाल, श्रीटी०वी० राजेस्वर द्वारा सम्बोधित किया गया)

विधान परिषद् का प्रथम सत्र

उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के वर्ष २००७ का प्रथम सत्र दिनांक १८ जनवरी, २००७ को प्रारम्भ हुआ तथा उसकी बैठकें दिनांक ६ मई, २००७ तक चलीं । दिनांक ६ मई, २००७ को सत्र अनिश्चितकाल के लिये स्थगित हुआ तथा उसका सत्रावसान दिनांक ११ मई, २००७ को हो गया । तत्सम्बन्धी अधिसूचना दिनांक १४ मई, २००७ को जारी की गयी ।

उक्त अवधि में परिषद् की कुल ८ बैठकें हुई, जिनका विवरण इस प्रकार हैः––

जनवरी, २००७	१८, २२, २४, २५	= 4 दिन
फरवरी, २००७	२६, २७	= 2 दिन
मार्च, २००७	१२	= 1 दिन
अप्रैल, २००७	६	= 1 दिन
	कुल	= 8 दिन

शोकोद्‌गार

उक्त अवधि में निम्नलिखित व्यक्तियों के निधन पर शोकाद्‌गार व्यक्त किये गये :—

१— श्री विक्रमादित्य पाण्डेय, सदस्य, उत्तर प्रदेश विधान परिषद

२— श्री बाखू राम वर्मा, सदस्य, उत्तर प्रदेश विधान परिषद

श्री राज्यपाल का अभिभाषण

उत्तर प्रदेश के महामहिम राज्यपाल का अभिभाष्ण उत्तर प्रदेश विधान मण्डल के वर्ष २००७ के प्रथम सत्र के लिये दिनांक १८ जनवरी, २००७ को उत्तर प्रदेश विधान मण्डल के एक साथ समवेत दोनों सदनों के सदस्यों के समक्ष दिया गया था, जिसे उसी दिन विधान परिषद् की बैठक में माननीय सभापति, विधान परिषद् द्वारा प्रतिवेदित किया गया था । महामहिम राज्यपाल क अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव श्री लल्लन प्रसाद यादव, सदस्य, विधान परिषद द्वारा दिनांक २२ जनवरी, २००७ काके सदन में प्रस्तुत किया गया तथा श्री नरेश चन्द्र उत्तम, सदस्य विधान परिषद द्वारा उसका समर्थन किया गया । श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर घन्यवाद प्रस्ताव पर दिनांक १५, २२, व २५ जनवरी, २००७ को चर्चा हुई । दिनांक २५ जनवरी, २००७ को महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के प्रति धन्यवाद का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सदन से अनुपस्थिति

दिनांक २५ मई, २००७ को श्री सभापति ने उत्तर प्रदेश विधान परिषदकी प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन नियमावली के नियम–२३१ (२) के अर्न्तगत श्री रवि शंकर सिंह "पप्पू" सदस्य, विधान परिषद्, नेता, समाजवादी जनता पार्टी (राष्ट्रीय) विधान परिषद्, के माननीय पूर्व प्रधानमंत्री , श्री चन्द्रशेखर जी की अस्वस्थता के कारण उनकी देखभाल हेतु दिल्ली में प्रवास करने के कारण सदन से अनुपस्थित रहने के सम्बन्ध में प्राप्त पत्र को सदन के विचार हेतु प्रस्तुत किया ।

(सदन ने उक्त पत्र पर अपनी स्वीकृति प्रदान की)

विधायी कार्य

(क) अधिनियम सम्बन्धी घोषणायें

उक्त अवधि में प्रमुख सचिव, विधान परिषद् द्वारा निम्नलिखित घोषणायें की गयीः--

क्र०सं०	अधिनियम	सदन में घोषणा की तिथि
१	उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (द्वितीय)संशोधन विधेयक, २००६ पर श्री राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक १८ दिसम्बर,२००६ को प्राप्त हो गयी है और वह उत्तर प्रदेश का सन् २००६ ई० का चालीसवां अधिनियम बना ।	२.१.०७
२	उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक , २००६ पर श्री राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक २६ दिसम्बर , २००६ को प्राप्त हो गयी है और वह उत्तर प्रदेश का सन्२००६ई० का इक्तालीसवां अधिनियम बना।	२.१.०७
३	उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग(तृतीय संशोधन) विधेयक,२००६ पर श्री राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक २६ दिसम्बर , २००६ को प्राप्त हो गयी है और वह उत्तर प्रदेश का सन् २००६ ई० का बयालीसवां अधिनियम बना ।	२.१.०७
४	संजय गॉधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान(संशोधन) विधेयक , २००७ पर श्री राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक ०२ फरवरी , २००७ को प्राप्त हो गयी है और वह उत्तर प्रदेश का सन् २००७ ई० का पहला अधिनियम बना।	७.२.०७
५	उत्तर प्रदेश आद्यौगिक झगड़ा (संशोधन)विधेयक, २००७ पर श्री राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक १३ फरवरी, २००७ को प्राप्त हो गयी है और वह उत्तर प्रदेश का सन् २००७ ई० का दूसरा अधिनियम बना ।	७.२.०७
६	उत्तर प्रदेश हाई स्कूल तथा इण्टरमीडिएट कालेज(अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) (सिंशोधन) विधेयक , २००७ पर श्री राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक २० फरवरी , २००७ को प्राप्त हो गई है और वह उत्तर प्रदेश का सन् २००७ ई० का तीसरा अधिनियम बना	७.२.०७

क्र०सं०	अधिनियम	सदन में घोषणा की तिथि
७	उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) विधेयक , २००७ पर श्री राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक २० फरवरी, २००७ को प्राप्त हो गई है और वह उत्तर प्रदेश का सन् २००७ ई० का चौथा अधिनियम बना ।	२७.२.०७

(ख) विधेयक

उक्त अवधि में उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित निम्नलिखित विधेयक पारित किये गये:--

क्र०सं०	विधेयक	सदन की मेज पर रखे जाने की तिथि	पारित किये जा की तिथि
१	२	३	४
१	उ०प्र०औद्योगिक झगड़ा (संशोधन) विधेयक, 2007	25-1-07	25-1-07
२	उ०प्र०लोक सेवा(अधिकरण)(संशोधन) विधेयक, 2007	25-1-07	25-1-07
३	किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय (संशोधन)विधेयक, 2007	25-1-07	25-1-07
4	उ०प्र० किंग जार्ज दन्त विज्ञान विश्वविद्यालय(संशोधन)विधेयक, 2007	25-1-07	25-1-07
5	उ०प्र० हाई स्कूल एवं इण्टरमीडिएट कालेज (अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान (संशोधन), विधेयक, 2007	25-1-07	25-1-07
6	उ० प्र० नगर योजना और विकास (संशोधन)विधेयक, 2007	25-1-07	25-1-07
7	संजयगॉधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञानसंस्थान (संशोधन)विधेयक, 2007	25-1-07	25-1-07
8	उ०प्र०जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था (संशोधन)विधेयक, 2007	27-2-07	27-2-07
9	उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (संशोधन)विधेयक, 2007	27-2-07	27-2-07
१०	उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, 2007	27-2-07	27-2-07

१	२	३	४
11	उ०प्र०राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियॉ और पेंशन)(संशोधन)विधेयक, 2007	27-2-07	27-2-07
12	इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 2007	12-3-07	12-3-07
13	मुहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय (संशोधन)विधेयक, 2007	9-5-07	9-5-07

प्रश्न

प्रथम सत्र २००७ दिनांक ०१ जनवरी,२००७ से दिनांक ३१ मार्च,२००७ तक प्रश्नों की सूचना

१. कुल प्राप्त प्रश्नों की संख्या १४५
२. कुल स्वीकार प्रश्नों की संख्या १२६

अल्पसूचित प्रश्न

प्राप्त प्रश्नों की संख्या	अल्पसूचित रूप में स्वीकार	अल्पसूचित से तारांकित रूप में स्वीकार प्रश्नों की संख्या	अल्पसूचित से अतारांकित रूप में स्वीकार प्रश्नों की संख्या
27	0	8	4

तारांकित प्रश्न

प्राप्त प्रश्नों की संख्या	स्वीकार प्रश्नों की संख्या	तारांकित प्रश्न से अतारांकित रूप में स्वीकार
75	59	8

अतारांकित प्रश्न

प्राप्त प्रश्नों की संख्या	स्वीकार प्रश्नां की संख्या
43	37

सूचनायें

(क) ध्यानाकर्षण प्रस्ताव (नियम–११५)

नियम ११५ के अर्न्तगत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की कुल ६७ सूचनायें प्राप्त हुई, जिनमें से ३७ सूचनायें शासन के पास आवश्यक कार्यवाही हेतु , १६ सूचनांयें व्यपगत , १ सूचना नियम–१११ के साथ सम्बद्ध , ३ सूचनायें अग्राह्य, ६ सूचनायें निरस्त एंव १ सूचना प्राधिकरण समिति को निर्दिष्ट हुई ।

(ख) कार्य स्थगन प्रस्ताव (नियम–१०५)

नियम १०५ के अर्न्तगत कार्य–स्थगन् प्रस्ताव की कुल ४० सूचनायें प्राप्त हुई , जिनमें से ४ सूचनायें आवश्यक कार्यवाही हेतु, १८ सूचनाएं व्यपगत, १५ सूचनाये अस्वीकार एंव ३ सूचनाओं पर निर्णय सुरक्षित रहा ।

(ग) अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों पर थोड़े समय के लिये चर्चा (नियम–११०)

नियम ११० के अर्न्तगत कुल ३१ सूचनायें प्राप्त हुई , जिनमें से २३ सूचनायें शासन के पास आवश्यक कार्यवाही हेतु, २ सूचनायें व्यपगत, ५ सूचनायें अस्वीकार एंव १ सूचना प्रशासकीय विलम्ब समिति को निर्दिष्ट हुई ।

(घ) लोक महत्व के विषय पर वक्तव्य (नियम–१११)

नियम १११ के अर्न्तगत कुल ४६ सूचनायें प्राप्त हुई , जिनमें से ४० सूचनायें शासन के पास आवश्यक कार्यवाही हेतु,२ सूचनायें वक्तव्य हेतु, ०१ अनुपस्थित के कारण नहीं ली गई । १ सूचना निलयम १०५ के साथ तथा १ सूचना इसी नियम की अन्य सूचना के साथ सम्बद्ध एंव १ सूचना अस्वीकार हुई ।

(ड.) विशेषाधिकार की अवहेलना (नियम–२२३)

नियम २२३ के अर्न्तगत कुल ०३ सूचनायें प्राप्त हुई, जिनमें से ०२ सूचनांऐं अस्वीकार एंव १ सूचना व्यपगत हुई ।

(च) औचित्य का प्रश्न (नियम ३६ "क")

नियम ३६ (क) के अर्न्तगत औचित्य के प्रश्न की केवल एक सूचना प्राप्त हुई, जो शासन के पास आवश्यक कार्यवाही हेतु सन्दर्भित की गई ।

सदन की मेज पर रखे गये पत्रादि एंव आश्वासित सूचनायें

क्रम संख्या	विषय	सदन की मेज पर रखने की तिथि
१	२	३
१	परिवार कल्याण मंत्री ने ताज एक्सप्रेस वे जॉच आयोग की आख्या एंव उस पर शासन द्वारा की गयी कार्यवाही की रिर्पोट , जॉच आयोग अधिनियम , १९५२ की धारा ३ की उपधारा (४) के अधीन सदन की मेज पर रखा ।	२५.१.२००७
२	परिवार कल्याण मंत्री ने उत्तर प्रदेश के संसदीय और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन से संबंधित , भारत परिसीमन आयोग के आदेश संख्या–२७, दिनांक २८ जुलाई, २००९ तथा आदेश संख्या–३४, दिनांक १८ दिसम्बर,२००९ को, परिसीमन अधिनियम , २००२ की धारा १०(३) के अधीन सदन की मेज पर रखा ।	२५.२.२००७
३	परिवार कल्याण मंत्री ने यू० पी० प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि० का वार्षिक प्रतिवेदन २००३–०४ को कम्पनी अधिनियम, १९५६ की धारा ६१९ ए की उपधारा–२ के अधीन विलम्ब के कारणों सहित सदन की मेज पर रखा ।	२५.२.२००७
४	परिवार कल्याण मंत्री ने भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ३१ मार्च,२००५ को समाप्त हुए वर्ष के लिये (राजस्व प्राप्तियां) उत्तर प्रदेश सरकार को संविधान के अनुच्छेद–१५१(२) में निहित प्राविधान के अधीन सदन की मेज पर रखा ।	२५.२.२००७
५	परिवार कल्याण मंत्री ने भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के वित्त लेखे वर्ष २००५–०६ उत्तर प्रदेश सरकार एंव विनियोग लेखें वर्ष २००५–०६ उत्तर प्रदेश सरकार को संविधान के अनुच्छेद–१५१(२) में निहित प्राविधान के अधीन सदन की मेज पर रखा ।	२५.२.२००७
६	नेता सदन ने उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के द्वितीय सत्र, २००६ (दिनांक २१ अगस्त,२००६ से १५ दिसम्बर, २००६ तक) में उत्तर प्रदेश विधान परिषद् की प्रकिया तथा कार्य संचालन नियमावली, १९५६ के नियम ११५ के अधीन प्राप्त सूचनाओं पर कृत कार्यवाही का विवरण नियमावली, के नियम ११५(४) की अपेक्षानुसार सदन की मेज पर रखा ।	२५.२.२००७

१	२	३
७	परिवार कल्याण मंत्री ने उत्तर प्रदेश जिला पंचायत (केन्द्रीय सकाम्य संवर्ग) (नौंवा संशोधन) नियमावली, २००६ को उ०प्र० क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम,१९६१ की धारा ३३७ (३) के अधीन सदन की मेज पर रखा ।	२५.२.२००७
८	परिवार कल्याण मंत्री ने चयन प्रक्रिया एंव चयन समिति की संस्तुति के बिना पेंशन निदेशालय में कुछ कर्मचारियों की नियुक्ति के सम्बन्ध में श्री अच्छेलाल बाल्मीकि , पूर्व सदस्य , विधान परिषद् द्वारा दिनांक १६ जुलाई, १९६० को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या – ६ के दिये गये उत्तर के क्रम में संशोधित उत्तर दिया ।	२५.२.२००७
९	परिवार कल्याण मंत्री ने चीनी मिल क्षेत्रों में गन्ना विकास परिषदों द्वारा सम्पादित सम्पर्क मार्गो के निर्माण में व्यय होने वाले व्यय को सरकार द्वारा अनुदान के रूप में दिये जाने के सम्बन्ध में श्री राजेश पाण्डेय , पूर्व सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक २३ नवम्बर , १९९२ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या – १० नत्थी "घ" के सम्बन्ध में आश्वासित सूचना सदन की मेज पर रखा ।	२५.२.२००७
१०	परिवार कल्याण मंत्री ने संस्थागत वित्त, कर एंव निबन्धन अनुभाग–२ कीविज्ञप्ति संख्या –क०नि०–२–२७२१ (१)/ग्यारह–९(२३९)/९९–उ०प्र० अधि०–१५–४८–आदेश–(१९)–२००९ , दिनांक ३० नवम्बर २००९ को उत्तर प्रदेश व्यापार कर ऐक्ट , १९४८ की धारा–३ क की उपधारा (२) के अधीन सदन की मेज पर रखा ।	१२.३.२००७
११	परिवार कल्याण मंत्री ने संस्थागत वित्त , कर एंव निबन्धन अनुभाग–२ कीविज्ञप्ति संख्या –क०नि०–२–२७२० (१)/ग्यारह–९(२३९)/९४–उ०प्र० अधि०–१५–४८–आदेश–(२०)–२००९, दिनांक ३० नवम्बर , २००९ को उत्तर प्रदेश व्यापार कर ऐक्ट, १९४८ की धारा – ३ क की उपधारा (२) के अधीन सदन की मेज पर रखा ।	१२.३.२००७

१	२	३
१२	परिवार कल्याण मंत्री ने संस्थागत वित्त , कर एंव निबन्धन अनुभाग–२ की विज्ञप्ति संख्या –क०नि०–२–२७७३ / ग्यारह–६८१) / ६१–उ० प्र० अधि० – १२ – २०००– आदेश– (१७) – २००६ , दिनांक ३० नवम्बर , २००६ को उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर अधिनियम , २००० की धारा – ४ की उपधारा (१) के अधीन सदन की मेज पर रखा ।	१२.३.२००७
१३	परिवार कल्याण मंत्री ने उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम लि० के वित्तीय वर्ष २००१–०२, २००२–०३, २००३–०४ एंव २००४ – ०५ के वार्षिक लेखों को कम्पनी अधिनियम की धारा ६१६ ए के अधीन विलम्ब के कारण सहित सदन की मेज पर रखा ।	१२.३.२००७
१४	परिवार कल्याण मंत्री ने भूमि सुधार निगम लिमिटेड के वित्तीय वर्ष १९९७ – ९८ , १९९८ – ९९ , १९९९–२००० , २००१त्र०–०१ , २००१–०२ २००२–०३ एंव २००३–०४ के वार्षिक प्रतिवेदनों को कम्पनी अधिनियम १९५६ की धारा ६१६ ए (३) (बी) के अधीन विलम्ब के कारणों सहित सदन की मेज पर रखा ।	०६.५.२००७
१५	परिवार कल्याण मंत्री ने उत्तर प्रदेश सूचना का अधिकार (फीस और लागत विनियमन) (संशोधन) नियमावली , २००६ को सूचना का अधिकार अधिनियम , २००५ धारा–२९ की उपधारा (२) के अधीन विलम्ब के कारण सहित सदन की मेज पर रखा ।	६.५.२००७
१६	परिवार कल्याण मंत्री ने उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग (अपील प्रक्रिया) नियमावली, २००६ को सूचना का अधिकार अधिनियम २००५ की धारा–२९ की उपधारा (२) के अधीन विलम्ब के कारण सहित सदन की मेज पर रखा।	६.५.२००७
१७	परिवार कल्याण मंत्री ने विद्युत प्रदाय संहिता २००५ को विद्युत अधिनियम , २००३ की धारा – १८२ के अधीन विलम्ब के कारण सहित सदन की मेज पर रखा ।	६.५.२००७

१	२	३
१८	परिवार कल्याण मंत्री ने यू० पी० प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि० का वित्तीय वर्ष २००४–०५ का वार्षिक प्रतिवेदन को कम्पनी अधिनियम, १९५६ की धारा ६१६ ए की उपधारा–२ के अधीन विलम्ब के कारणों सहित सदन की मेज पर रखा ।	६.५.२००७
१९	उच्च शिक्षा राज्य मंत्री ने उन्नाव स्थित हरिजन समाज कल्याण विभाग के एक अधिकारी के विरूद्ध मई/जून ८४ में गबन की रिर्पोट को जांच किये जाने के सम्बन्ध में श्री श्रीकृष्ण बाजपेयी, पूर्व सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक १५ जुलाई,१९८५ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या–३२ के सम्बन्ध में आश्वासित सूचना सदन की मेज पर रखा ।	६.५.२००७
२०	उच्च शिक्षा राज्य मंत्री ने आदर्श जूनियर हाई स्कूल, गोहरामऊ, काकोरी, लखनऊ में व्याप्त भ्रष्टाचार के विरूद्ध शिकायत के सम्बन्ध में सर्वश्री मान्धाता सिंह, केशव कुमार शर्मा व श्री प्रभाकर मिश्र, पूर्व सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक ०६ जुलाई, १९८७ को नियम–११० के अर्न्तगत दी गयी सूचना पर दिनांक ०४ जनवरी, १९८८ को शासन द्वारा दी गयी कृत कार्यवाही की सूचना पर दिये गये आश्वासन के क्रम में आश्वासित सूचना सदन की मेज पर रखी ।	६.५.२००७

मंत्रियों द्वारा दिये गये वक्तव्य

उक्त अवधि में सम्बन्धित मंत्रियों द्वारा निम्नलिखित वक्तव्य दिया गया :—

क्रमसंख्या	विषय	वक्तव्य / शोधन वक्तव्य दिये जाने की तिथि
१	२	३
१	क्वीन मेरी अस्पताल , के० जी० एम० सी० , लखनऊ में व्याप्त गंदगी, भ्रष्टाचार एंव सफाई तथा कीटनाशक छिड़काव के सम्बन्ध में श्री अजय कुमार उर्फ विशाल वर्मा, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक ५दिसम्बर,२००६ को नियम १११ के अन्तर्गत दी गई सूचना पर वक्तव्य ।	१७.२.२००७

समितियों का प्रतिवेदन

उक्त अवधि में निम्नलिखित समतियों के प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत किये गये :—

क्रमसंख्या	प्रतिवेदन	प्रस्तुत किये जाने की तिथि
१	२	३
	श्री राकेश सिंह राणा , सदस्य विधान परिषद् ने डत्तर प्रदेश विधान मण्डल की अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति (२००६ – २००७) का "उन्तालिसवां प्रतिवेदन" जो ग्राम देहुली , थानान्जसराना , जनपद – मैनपुरी में दिनांक १८ नवम्बर, १९८१ को हुई २४ हरिजनों की निमर्म हत्या से सम्बन्धित इसवें प्रतिवेदन में की गयी संस्तुतियों के कार्यान्वयन से सम्बन्धित प्रतिवेदन प्रस्तुत किया ।	२५.१.२००७
२	श्री जय सिंह यादव , सदस्य , विधान परिषद् ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एंव निगम संयुक्त समिति (२००६ – २००७) का तैतीसवां प्रतिवेदन,जो भारतके नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिर्पोट वर्ष १९७९–८०, १९८१ – ८१२ तथा १९८७–८८ (वाणिज्यिक) में उल्लिखित उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद (उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड) से सम्बन्धित प्रस्तरों पर आधारित है , प्रस्तुत किया ।	६.५.२००७

सरकारी प्रस्ताव

उच्च शिक्षा राज्य मंत्री ने दिनांक ६ मई, २००७ को निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत किया

"मौलाना मुहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, २००४ जो राज्य विधान मण्डल द्वारा पारित होने के उपरान्त संविधान के अनुच्छेद २०० के अनुसार राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचार के लिये आरक्षित रखा गया था, संविधान के अनुच्छेद २०१ के अधीन राष्ट्रपति के संदेश सहित पुनर्विचार हेतु प्राप्त हुआ है ।

चूँकि इस बीच वर्ष २००५ में इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु मुहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय अधिनियम, २००५ उत्तर प्रदेश के अधीनियम संख्या – १६ सन् २००६ के रूप में अधिनियमित हो चुका है , ऐसी स्थिति में मौलाना मुहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश विधेयक, २००४ की प्रासंगिकता नहीं रह गयी है, अतः मैं प्रस्ताव करता हूँ कि विधान परिषद् में लम्बित इस विधेयक को वापस लेने की अनुमति दी जाय ।"

(सदन ने उक्त प्रस्ताव पर अपनी सहमति प्रदान की)

मुख्य सचेतक की मान्यता

दिनांक १५ जनवरी, २००७ को श्री सभापति ने सदन को सूचित किया कि:–

१– श्री ओम प्रकाश शर्मा, गैर राजनीतिक शिक्षक दल ने अपने पत्र दिनांक १७ जनवरी, २००७ के द्वारा सूचित किया है कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् में शिक्षक दल के श्री जगवीर किशोर जैन, मुख्य सचेतक, शिक्षक दल विधान परिषद् होगें ।

सरकार से गठबंधन समाप्त

दिनांक १८ जनवरी, २००७ को श्री सभापति ने सदन को सूचित किया है कि :–

२– श्री लोकब हमीद, नेता , राष्ट्रीय लोकदल, विधान मण्डल नके अपने पत्र दिनांक १७ जनवरी, २००७ के द्वारा सूचित किया है कि राष्ट्रीय लोकदल का सरकार से गठबन्धन समाप्त हो गया है । अतः उन्हें प्रतिपक्ष में बैठने हेतु स्थान निर्धारित करें ।

३– श्री प्रमोद तिवारी, नेता , उ०प्र० विधान मण्डल, कांग्रेस दल ने अपने पत्र दिनांक १८ जनवरी, २००७ के द्वारा सूचित किया है कि उनकी पार्टी ने समाजवादी पार्टी सरकार से समर्थन वापस ले लिया है । अतः उन्हें विपक्ष में बैठने हेतु स्थान निर्धारित करें।

(श्री सभापति ने उपरोक्त पर अपनी अनुमति प्रदान की।)

सन् २००७ का द्वितीय सत्र

(२१ मई से २३ मई, २००७ तक)

विधान परिषद् में दलीय नेताओं की सूची

क्रमसं०	दल का नाम	दलीय नेता के नाम
१–	समाजवादी पार्टी	श्री अहमद हसन (नेता, विरोधी दल)
२–	भारतीय जनता पार्टी	डा० नैपाल सिंह "प्रो०"
३–	बहुजन समाज पार्टी	श्री कमलाकान्त गौतम
४–	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस{आई}	श्री नसीब पठान (उप नेता)
५–	राष्ट्रीय लोकदल	श्री मुन्ना सिंह चौहान
६–	समाजवादी जनता पार्टी (राष्ट्रीय)	श्री रवि शंकर सिंह "पप्पू"
७–	शिक्षक दल { गैर राजनीतिक }	श्री ओम प्रकाश

अनुक्रमणिका

क्रम–संख्या	विषय	पृष्ठ संख्या
१	विधान परिषद् का द्वितीय सत्र	२१–२७
२	अधिष्ठाता मण्डल	२८
३	श्री राज्यपाल का अभिभाषण	२९
४	प्रश्न	३०
५	सूचनाएं	३१
६	विभिन्न दलों के माननीय सदस्यों की दलीय स्थिति	३२
७	माननीय सदस्यों की दलीय सूची	३३–३४

(उत्तर प्रदेश का मंत्रिमंडल पुर्नगठित होने के फलस्वरूप उत्तर प्रदेश विधान मण्डल के एक साथ समवेत् दोनों सदनों के सदस्यों को दिनांक २१ मई, २००७ को पूर्वाहन् ११-००० बजे विधान सभा मण्डप में महामहिम राज्यपाकल, श्री टी०वी० राजेस्वर द्वारा सम्बोधित किया गया)

विधान परिषद् का द्वितीय सत्र

उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के वर्ष २००७ का द्वितीय सत्र नया मंत्रिमंडल गठन होने के पश्चात् दिनांक २१ मई, २००७ को प्रारम्भ हुआ तथा उसकी बैठकें दिनांक २३ मई, २००७ तक चलीं। दिनांक २३ मई, २००७ को सत्र अनिश्चितकाल के लिये स्थगित हुआ तथा उसका सत्रावसान दिनांक २५ मई, २००७ को हो गया । तत्सम्बन्धी अधिसूचना दिनांक २८ मई, २००७ को जारी की गई ।

उक्त अवधि में परिषद् की कुल ३ बैठकें हुई, जिनका विवरण इस प्रकार है :--

मई, २००७ २१,२२, व २३ = कुल ३ दिन

कुल =३ दिन

श्री राज्यपाल का अभिभाषण

उत्तर प्रदेश के महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण उत्तर प्रदेश विधान मण्डल के वर्ष २००७ के द्वितीय सत्र के लिये दिनांक २१ मई, २००७ को उत्तर प्रदेश विधान मण्डल के एक साथ समवेत दोनों सदनों के सदस्यों के समक्ष दिया गया था, जिसे उसी दिन की विधान परिषद् की बैठक में माननीय सभापति, विधान परिषद् द्वारा प्रतिवेदित किया गया । महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव श्री राम चन्द्र त्यागी, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक २२ मई, २००७ को सदन में प्रस्तुत किया गया तथा श्री श्रीनाथ , सदस्य, विधान परिषद् द्वारा उसका समर्थन किया गया । श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव पर दिनांक २२ व २३ मई, २००७ काके चर्चा हुई । दिनांक २३ मई, २००७ को महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के प्रति धन्यवाद का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

प्रश्न

द्वितीय सत्र (२००७) दिनांक १६ मई, २००७ से दिनांक २२ मई, २००७ तक प्रश्नों की सूचना

१– कुल प्राप्त प्रश्नों की संख्या– १००

२– कुल स्वीकार प्रश्नों की संख्या– ५७

अल्पसूचित प्रश्न

प्राप्त प्रश्नों की संख्या	अल्पसूचित रूप में स्वीकार प्रश्नों की संख्या	अल्पपसूचित से तारांकित रूप में स्वीकार प्रश्नों की संख्या	अल्पपसूचित से अतारांकित रूप में स्वीकार प्रश्नों की संख्या
५६	९४	१७	४

तारांकित प्रश्न

प्राप्त प्रश्नों की संख्या	स्वीकार प्रश्नों की संख्या	तारांकित प्रश्न से अतारांकित रूप में स्वीकार
३७	१३	६

अतारांकित प्रश्न

प्राप्त प्रश्नों की संख्या	स्वीकार प्रश्नों की संख्या
७	३

सूचनायें

(क) ध्यानाकर्षण प्रस्ताव (नियम–११५)

नियम ११५ के अर्न्तगत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की कुल २६ सूचनायें प्राप्त हुई, जिनमें से १५ सूचनायें शासन के पास आवश्यक कार्यवाही हेतु, १३ सूचनायें व्यपगत एंव १ सूचना अग्राह्य हुई ।

(ख) कार्य स्थगन प्रस्ताव (नियम १०५)

नियम १०५ के अर्न्तगत कार्य स्थगन प्रस्ताव की कुल १८ सूचनायें प्राप्त हुई, जिनमें से ३ सूचनायें शासन के पास आवश्यक कार्यवाही हेतु, ७ सूचनाएं व्यपगत एंव ६ सूचनायें, अग्राह्य हुई ।

(ग) अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों पर थोड़े समय के लिये चर्चा (नियम–११०)

नियम ११० के अर्न्तगत कुल १२ सूचनायें प्राप्त हुई, जिनमें से १० सूचनायें शासन के पास आवश्यक कार्यवाही हेतु तथा २ सूचनायओं पर वक्तव्य हेतु, संदर्भित किया ।

(घ) लोक महत्व के विषय पर वक्तव्य (नियम–१११)

नियम १११ के अर्न्तगत कुल १६ सूचनायें प्राप्त हुई, जिनमें से १७ सूचनायें शासन के पास आवश्यक कार्यवाही हेतु, १ सूचना इसी नियम की पूर्व सूचना के साथ सम्बद्ध तथा १ सूचना अस्वीकार हुई ।

(ड.) औचित्य का प्रश्न (नियम ३६ "क")

औचित्य के प्रश्न की कुल २ सूमचनायें प्राप्त हुई, जो इसी नियमत की पूर्व सूचना के साथ सम्बद्ध की गई ।

उत्तर प्रदेश विधान परिषद्,

के

सन् २००७ के

प्रथम सत्र

(दिनांक १८ जनवरी से ६ मार्च, २००७ तक)

एंव

द्वितीय सत्र

(दिनांक २१ मई से २३ मई, २००७ तक)

में कृत कार्यो का

संक्षिप्त सिंहावलोकन

संसदीय अनुभाग
विधान परिषद् सचिवालय,
उत्तर प्रदेश
द्वारा प्रकाशित

प्राक्कथन

उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के वर्ष २००७ के प्रथम सत्र (दिनांक १८ जनवरी, से ६ मई,२००७ तक) एंव द्वितीय सत्र (दिनांक २१ मई से २३ मई, २००७ तक) में कृत कार्यो का संक्षिप्त विवरण तैयार कियिा गया है जिसमें यथासम्भव सांख्यकीय सूचनाओं के साथ वर्तमान माननीय सदस्यों की सूची एंव अन्य महत्वपूर्ण सूचनाओं को भी समावेशित किया गया है ।

आशा है कि उक्त प्रकाशन आपके लिये उपयोगी सिद्ध होगा ।

लखनऊ
दिनांक २६ जून, २००७

माताम्बर सिंह,
प्रमुख सचिव।

क्रम–सख्या	विषय	पृष्ठ–सख्या
१	विधान परिषद् का प्रथम सत्र	१
२	अधिष्ठाता मण्डल	२
३	शोकोद्‌गार	३
४	श्री राज्यपाल का अभिभाषण	४
५	सदन से अनुपस्थित	५
६	विधायी कार्य	६.६
७	प्रश्न	१०
८	सूचनांए	११
६	सदन की मेज पर रखे गये पत्रादि एंव आश्वासित	१२.१५
१०	मंत्रियों द्वारा दिये गये वक्तव्य	१६
११	समितियों के प्रतिवेदन	१७
१२	सरकारी प्रस्ताव	१८
१३	मुख्य सचेतक की मान्यता	१६
१४	सरकार से गठबन्धन समाप्त	२०

उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के अधिकारीगण

१–सभापति	चौधरी सुखराम सिंह यादव
२–उप सभापति	पद रिक्त
३–प्रमुख सचिव	श्री माताम्बर सिंह

विधान परिषद् में दलीय नेताओं की सूची

क्र०सं०	दल का नाम	दलीय नेता का नाम
१	समाजवादी पार्टी	श्री राम शरण दास गूजर
२	भारतीय जनता पार्टी	डा० नैपाल सिंह "प्रो०" (नेता विरोधी दल)
३	बहुजन समाज पार्टी	श्री कमला कान्त गौतम
४	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (आई)	श्री नसीब पठान (उपनेता)
५	राष्ट्रीय लोकदल	श्री हरि सिंह ढिल्लो
६	समाजवादी जनता पार्टी(राष्ट्रीय)	श्री रवि शंकर सिंह "पप्पू"
७	शिक्षक दल (गैर राजनीतिक)	श्री ओम प्रकाश शर्मा

(उत्तर प्रदेश विधान मण्डल के एक साथ समवेत् दोनों सदनों के सदस्यों को दिनांक १८ जनवरी, २००७ को पूर्वाहन् ११–३० बजे विधान सभा मण्डप में महामहिम राज्यपाल, श्री टी०वी० राजेस्वर द्वारा सम्बोधित किया गया)

विधान परिषद् का प्रथम सत्र

उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के वर्ष २००७ का प्रथम सत्र दिनांक १८ जनवरी, २००७ को प्रारम्भ हुआ तथा उसकी बैठकें दिनांक ६ मई, २००७ तक चलीं । दिनांक ६ मई, २००७ को सत्र अनिश्चितकाल के लिये स्थगित हुआ तथा उसका सत्रावसान दिनांक ११ मई, २००७ को हो गया । तत्सम्बन्धी अधिसूचना दिनांक १४ मई, २००७ को जारी की गयी ।

उक्त अवधि में परिषद् की कुल ८ बैठकें हुई, जिनका विवरण इस प्रकार हैः––

जनवरी, २००७	१८, २२, २४, २५	= 4 दिन
फरवरी, २००७	२६, २७	= 2 दिन
मार्च, २००७	१२	= 1 दिन
अप्रैल, २००७	६	= 1 दिन
	कुल	= 8 दिन

शोकोद्‌गार

उक्त अवधि में निम्न लिखित व्यक्तियों के निधन पर शोकाद्‌गार व्यक्त किये गये :––

१– श्री विक्रमादित्य पाण्डेय, सदस्य, उत्तर प्रदेश विधान परिषद

२– श्री बरखू राम वर्मा, सदस्य, उत्तर प्रदेश विधान परिषद

श्री राज्यपाल का अभिभाषण

उत्तर प्रदेश के महामहिम राज्यपाल का अभिभाष्ण उत्तर प्रदेश विधान मण्डल के वर्ष २००७ के प्रथम सत्र के लिये दिनांक १८ जनवरी, २००७ को उत्तर प्रदेश विधान मण्डल के एक साथ समवेत दोनों सदनों के सदस्यों के समक्ष दिया गया था, जिसे उसी दिन विधान परिषद् की बैठक में माननीय सभापति, विधान परिषद् द्वारा प्रतिवेदित किया गया था । महामहिम राज्यपाल क अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव श्री लल्लन प्रसाद यादव, सदस्य, विधान परिषद द्वारा दिनांक २२ जनवरी, २००७ काके सदन में प्रस्तुत किया गया तथा श्री नरेश चन्द्र उत्तम, सदस्य विधान परिषद द्वारा उसका समर्थन किया गया । श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर घन्यवाद प्रस्ताव पर दिनांक १५, २२, व २५ जनवरी, २००७ को चर्चा हुई । दिनांक २५ जनवरी, २००७ को महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के प्रति धन्यवाद का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सदन से अनुपस्थिति

दिनांक २५ मई, २००७ को श्री सभापति ने उत्तर प्रदेश विधान परिषदकी प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन नियमावली के नियम–२३१ (२) के अर्न्तगत श्री रवि शंकर सिंह "पप्पू" सदस्य, विधान परिषद्, नेता, समाजवादी जनता पार्टी (राष्ट्रीय) विधान परिषद्, के माननीय पूर्व प्रधानमंत्री , श्री चन्द्रशेखर जी की अस्वस्थता के कारण उनकी देखभाल हेतु दिल्ली में प्रवास करने के कारण सदन से अनुपस्थित रहने के सम्बन्ध में प्राप्त पत्र को सदन के विचार हेतु प्रस्तुत किया ।

(सदन ने उक्त पत्र पर अपनी स्वीकृति प्रदान की)

विधायी कार्य

(क) अधिनियम सम्बन्धी घोषणायें

उक्त अवधि में प्रमुख सचिव, विधान परिषद् द्वारा निम्नलिखित घोषणायें की गयीः--

क्र०सं०	अधिनियम	सदन में घोषणा की तिथि
१	उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (द्वितीय)संशोधन विधेयक, २००६ पर श्री राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक १८ दिसम्बर,२००६ को प्राप्त हो गयी है और वह उत्तर प्रदेश का सन् २००६ ई० का चालीसवां अधिनियम बना ।	२.१.०७
२	उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक , २००६ पर श्री राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक २६ दिसम्बर , २००६ को प्राप्त हो गयी है और वह उत्तर प्रदेश का सन्२००६ई० का इक्तालीसवां अधिनियम बना।	२.१.०७
३	उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग(तृतीय संशोधन) विधेयक,२००६ पर श्री राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक २६ दिसम्बर , २००६ को प्राप्त हो गयी है और वह उत्तर प्रदेश का सन् २००६ ई० का बयालीसवां अधिनियम बना ।	२.१.०७
४	संजय गॉधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान(संशोधन) विधेयक , २००७ पर श्री राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक ०२ फरवरी , २००७ को प्राप्त हो गयी है और वह उत्तर प्रदेश का सन् २००७ ई० का पहला अधिनियम बना।	७.२.०७
५	उत्तर प्रदेश आद्यौगिक झगड़ा (संशोधन)विधेयक, २००७ पर श्री राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक १३ फरवरी, २००७ को प्राप्त हो गयी है और वह उत्तर प्रदेश का सन् २००७ ई० का दूसरा अधिनियम बना ।	७.२.०७
६	उत्तर प्रदेश हाई स्कूल तथा इण्टरमीडिएट कालेज(अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) (सिंशोधन) विधेयक , २००७ पर श्री राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक २० फरवरी , २००७ को प्राप्त हो गई है और वह उत्तर प्रदेश का सन् २००७ ई० का तीसरा अधिनियम बना	७.२.०७

क्र०सं०	अधिनियम	सदन में घोषणा की तिथि
७	उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) विधेयक , २००७ पर श्री राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक २० फरवरी, २००७ को प्राप्त हो गई है और वह उत्तर प्रदेश का सन् २००७ ई० का चौथा अधिनियम बना ।	२७.२.०७

(ख) विधेयक

उक्त अवधि में उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित निम्नलिखित विधेयक पारित किये गये:--

क्र०सं०	विधेयक	सदन की मेज पर रखे जाने की तिथि	पारित किये जाने की तिथि
१	२	३	४
१	उ०प्र०औद्योगिक झगड़ा (संशोधन) विधेयक, 2007	25-1-07	25-1-07
२	उ०प्र०लोक सेवा(अधिकरण)(संशोधन) विधेयक, 2007	25-1-07	25-1-07
३	किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय (संशोधन)विधेयक, 2007	25-1-07	25-1-07
4	उ०प्र० किंग जार्ज दन्त विज्ञान विश्वविद्यालय(संशोधन)विधेयक, 2007	25-1-07	25-1-07
5	उ०प्र० हाई स्कूल एंव इण्टरमीडिएट कालेज (अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान (संशोधन), विधेयक, 2007	25-1-07	25-1-07
6	उ० प्र० नगर योजना और विकास (संशोधन)विधेयक, 2007	25-1-07	25-1-07
7	संजयगॉधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञानसंस्थान (संशोधन)विधेयक, 2007	25-1-07	25-1-07
8	उ०प्र०जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था (संशोधन)विधेयक, 2007	27-2-07	27-2-07
9	उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोंड (संशोधन)विधेयक, 2007	27-2-07	27-2-07
१०	उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, 2007	27-2-07	27-2-07

१	२	३	४
11	उ०प्र०राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियॉ और पेंशन)(संशोधन)विधेयक, 2007	27-2-07	27-2-07
12	इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 2007	12-3-07	12-3-07
13	मुहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय (संशोधन)विधेयक, 2007	9-5-07	9-5-07

प्रश्न

प्रथम सत्र २००७ दिनांक ०१ जनवरी,२००७ से दिनांक ३१ मार्च,२००७ तक प्रश्नों की सूचना

१. कुल प्राप्त प्रश्नों की संख्या १४५
२. कुल स्वीकार प्रश्नों की संख्या १२६

अल्पसूचित प्रश्न

प्राप्त प्रश्नों की संख्या	अल्पसूचित रूप में स्वीकार	अल्पसूचित से तारांकित रूप में स्वीकार प्रश्नों की संख्या	अल्पसूचित से अतारांकित रूप में स्वीकार प्रश्नों की संख्या
27	10	8	4

तारांकित प्रश्न

प्राप्त प्रश्नों की संख्या	स्वीकार प्रश्नों की संख्या	तारांकित प्रश्न से अतारांकित रूप में स्वीकार
75	59	8

अतारांकित प्रश्न

प्राप्त प्रश्नों की संख्या	स्वीकार प्रश्नां की संख्या
43	37

सूचनायें

(क) ध्यानाकर्षण प्रस्ताव (नियम–११५)

नियम ११५ के अर्न्तगत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की कुल ६७ सूचनायें प्राप्त हुई, जिनमें से ३७ सूचनायें शासन के पास आवश्यक कार्यवाही हेतु , १६ सूचनांयें व्यपगत , १ सूचना नियम–१११ के साथ सम्बद्ध , ३ सूचनायें अग्राह्य, ६ सूचनायें निरस्त एंव १ सूचना प्राधिकरण समिति को निर्दिष्ट हुई ।

(ख) कार्य स्थगन प्रस्ताव (नियम–१०५)

नियम १०५ के अर्न्तगत कार्य–स्थगन् प्रस्ताव की कुल ४० सूचनायें प्राप्त हुई , जिनमें से ४ सूचनायें आवश्यक कार्यवाही हेतु, १८ सूचनाएं व्यपगत, १५ सूचनाये अस्वीकार एंव ३ सूचनाओं पर निर्णय सुरक्षित रहा ।

(ग) अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों पर थोड़े समय के लिये चर्चा (नियम–११०)

नियम ११० के अर्न्तगत कुल ३१ सूचनायें प्राप्त हुई , जिनमें से २३ सूचनायें शासन के पास आवश्यक कार्यवाही हेतु, २ सूचनायें व्यपगत, ५ सूचनायें अस्वीकार एंव १ सूचना प्रशासकीय विलम्ब समिति को निर्दिष्ट हुई ।

(घ) लोक महत्व के विषय पर वक्तव्य (नियम–१११)

नियम १११ के अर्न्तगत कुल ४६ सूचनायें प्राप्त हुई , जिनमें से ४० सूचनायें शासन के पास आवश्यक कार्यवाही हेतु,२ सूचनायें वक्तव्य हेतु, ०१ अनुपस्थित के कारण नहीं ली गई । १ सूचना निलयम १०५ के साथ तथा १ सूचना इसी नियम की अन्य सूचना के साथ सम्बद्ध एंव १ सूचना अस्वीकार हुई ।

(ड.) विशेषाधिकार की अवहेलना (नियम–२२३)

नियम २२३ के अर्न्तगत कुल ०३ सूचनायें प्राप्त हुई, जिनमें से ०२ सूचनांऐं अस्वीकार एंव १ सूचना व्यपगत हुई ।

(च) औचित्य का प्रश्न (नियम ३६ "क")

नियम ३६ (क) के अन्तगत औचित्य के प्रश्न की केवल एक सूचना प्राप्त हुई, जो शासन के पास आवश्यक कार्यवाही हेतु सन्दर्भित की गई ।

सदन की मेज पर रखे गये पत्रादि एंव आश्वासित सूचनायें

क्रम संख्या	विषय	सदन की मेज पर रखने की तिथि
१	२	३
१	परिवार कल्याण मंत्री ने ताज एक्सप्रेस वे जॉच आयोग की आख्या एंव उस पर शासन द्वारा की गयी कार्यवाही की रिर्पोट , जॉच आयोग अधिनियम , १९५२ की धारा ३ की उपधारा (४) के अधीन सदन की मेज पर रखा ।	२५.१.२००७
२	परिवार कल्याण मंत्री ने उत्तर प्रदेश के संसदीय और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन से संबंधित , भारत परिसीमन आयोग के आदेश संख्या–२७, दिनांक २८ जुलाई, २००६ तथा आदेश संख्या–३४, दिनांक १८ दिसम्बर,२००६ को, परिसीमन अधिनियम , २००२ की धारा १०(३) के अधीन सदन की मेज पर रखा ।	२५.२.२००७
३	परिवार कल्याण मंत्री ने यू० पी० प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि० का वार्षिक प्रतिवेदन २००३–०४ को कम्पनी अधिनियम, १९५६ की धारा ६१६ ए की उपधारा–२ के अधीन विलम्ब के कारणों सहित सदन की मेज पर रखा ।	२५.२.२००७
४	परिवार कल्याण मंत्री ने भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ३१ मार्च,२००५ को समाप्त हुए वर्ष के लिये (राजस्व प्राप्तियां) उत्तर प्रदेश सरकार को संविधान के अनुच्छेद–१५१(२) में निहित प्राविधान के अधीन सदन की मेज पर रखा ।	२५.२.२००७
५	परिवार कल्याण मंत्री ने भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के वित्त लेखे वर्ष २००५–०६ उत्तर प्रदेश सरकार एंव विनियोग लेखें वर्ष २००५–०६ उत्तर प्रदेश सरकार को संविधान के अनुच्छेद–१५१(२) में निहित प्राविधान के अधीन सदन की मेज पर रखा ।	२५.२.२००७
६	नेता सदन ने उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के द्वितीय सत्र, २००६ (दिनांक २१ अगस्त,२००६ से १५ दिसम्बर, २००६ तक) में उत्तर प्रदेश विधान परिषद् की प्रकिया तथा कार्य संचालन नियमावली, १९५६ के नियम ११५ के अधीन प्राप्त सूचनाओं पर कृत कार्यवाही का विवरण नियमावली, के नियम ११५(४) की अपेक्षानुसार सदन की मेज पर रखा ।	२५.२.२००७

१	२	३
७	परिवार कल्याण मंत्री ने उत्तर प्रदेश जिला पंचायत (केन्द्रीय संकाम्य संवर्ग) (नौंवा संशोधन) नियमावली, २००६ को उ०प्र० क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम,१६६१ की धारा २३७ (३) के अधीन सदन की मेज पर रखा ।	२५.२.२००७
८	परिवार कल्याण मंत्री ने चयन प्रक्रिया एंव चयन समिति की संस्तुति के बिना पेंशन निदेशालय में कुछ कर्मचारियों की नियुक्ति के सम्बन्ध में श्री अच्छेलाल बाल्मीकि , पूर्व सदस्य , विधान परिषद् द्वारा दिनांक १६ जुलाई, १६६० को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या – ६ के दिये गये उत्तर के क्रम में संशोधित उत्तर दिया ।	२५.२.२००७
६	परिवार कल्याण मंत्री ने चीनी मिल क्षेत्रों में गन्ना विकास परिषदों द्वारा सम्पादित सम्पर्क मार्गो के निर्माण में व्यय होने वाले व्यय को सरकार द्वारा अनुदान के रूप में दिये जाने के सम्बन्ध में श्री राजेश पाण्डेय , पूर्व सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक २३ नवम्बर , १६६२ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या – १० नत्थी "घ" के सम्बन्ध में आश्वासित सूचना सदन की मेज पर रखा ।	२५.२.२००७
१०	परिवार कल्याण मंत्री ने संस्थागत वित्त, कर एंव निबन्धन अनुभाग–२ कीविज्ञप्ति संख्या –क०नि०–२–२७२१ (१)/ग्यारह–६(२३६)/६६–उ०प्र० अधि०–१५–४८–आदेश–(१६)–२००६ , दिनांक ३० नवम्बर २००६ को उत्तर प्रदेश व्यापार कर ऐक्ट , १६४८ की धारा–३ क की उपधारा (२) के अधीन सदन की मेज पर रखा ।	१२.३.२००७
११	परिवार कल्याण मंत्री ने संस्थागत वित्त , कर एंव निबन्धन अनुभाग–२ कीविज्ञप्ति संख्या –क०नि०–२–२७२० (१)/ग्यारह–६(२३६)/६४–उ०प्र० अधि०–१५–४८–आदेश–(२०)–२००६, दिनांक ३० नवम्बर , २००६ को उत्तर प्रदेश व्यापार कर ऐक्ट, १६४८ की धारा – ३ क की उपधारा (२) के अधीन सदन की मेज पर रखा ।	१२.३.२००७

१	२	३
१२	परिवार कल्याण मंत्री ने संस्थागत वित्त , कर एंव निबन्धन अनुभाग–२ की विज्ञप्ति संख्या –क०नि०–२–२७७३ / ग्यारह–६(८१) / ६१–उ० प्र० अधि० – १२ – २०००– आदेश– (१७) – २००६ , दिनांक ३० नवम्बर , २००६ को उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर अधिनियम , २००० की धारा – ४ की उपधारा (६) के अधीन सदन की मेज पर रखा ।	१२.३.२००७
१३	परिवार कल्याण मंत्री ने उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम लि० के वित्तीय वर्ष २००१–०२, २००२–०३, २००३–०४ एंव २००४ – ०५ के वार्षिक लेखों को कम्पनी अधिनियम की धारा ६१६ ए के अधीन विलम्ब के कारण सहित सदन की मेज पर रखा ।	१२.३.२००७
१४	परिवार कल्याण मंत्री ने भूमि सुधार निगम लिमिटेड के वित्तीय वर्ष १९९७ – ९८ , १९९८ – ९९ , १९९९–२००० , २००१त्र०–०१ , २००१–०२ २००२–०३ एंव २००३–०४ के वार्षिक प्रतिवेदनों को कम्पनी अधिनियम १९५७६ की धारा ६१६ ए (३) (बी) के अधीन विलम्ब के कारणों सहित सदन की मेज पर रखा ।	०६.५.२००७
१५	परिवार कल्याण मंत्री ने उत्तर प्रदेश सूचना का अधिकार (फीस और लागत विनियमन) (संशोधन) नियमावली , २००६ को सूचना का अधिकार अधिनियम , २००५ धारा–२९ की उपधारा (२) के अधीन विलम्ब के कारण सहित सदन की मेज पर रखा ।	६.५.२००७
१६	परिवार कल्याण मंत्री ने उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग (अपील प्रक्रिया) नियमावली, २००६ को सूचना का अधिकार अधिनियम २००५ की धारा–२९ की उपधारा (२) के अधीन विलम्ब के कारण सहित सदन की मेज पर रखा।	६.५.२००७
१७	परिवार कल्याण मंत्री ने विद्युत प्रदाय संहिता २००५ को विद्युत अधिनियम , २००३ की धारा – १८२ के अधीन विलम्ब के कारण सहित सदन की मेज पर रखा ।	६.५.२००७

१	२	३
१८	परिवार कल्याण मंत्री ने यू० पी० प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि० का वित्तीय वर्ष २००४–०५ का वार्षिक प्रतिवेदन को कम्पनी अधिनियम, १९५६ की धारा ६१६ ए की उपधारा–२ के अधीन विलम्ब के कारणों सहित सदन की मेज पर रखा ।	६.५.२००७
१९	उच्च शिक्षा राज्य मंत्री ने उन्नाव स्थित हरिजन समाज कल्याण विभाग के एक अधिकारी के विरूद्ध मई/जून ,८४ में गबन की रिर्पोट को जांच किये जाने के सम्बन्ध में श्री श्रीकृष्ण बाजपेयी, पूर्व सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक १५ जुलाई,१९८५ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या–३२ के सम्बन्ध में आश्वासित सूचना सदन की मेज पर रखा ।	६.५.२००७
२०	उच्च शिक्षा राज्य मंत्री ने आदर्श जूनियर हाई स्कूल, गोहरामऊ, काकोरी, लखनऊ में व्याप्त भ्रष्टाचार के विरूद्ध शिकायत के सम्बन्ध में सर्वश्री मान्धाता सिंह, केशव कुमार शर्मा व श्री प्रभाकर मिश्र, पूर्व सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक ०६ जुलाई, १९८७ को नियम–११० के अर्न्तगत दी गयी सूचना पर दिनांक ०४ जनवरी, १९८८ को शासन द्वारा दी गयी कृत कार्यवाही की सूचना पर दिये गये आश्वासन के क्रम में आश्वासित सूचना सदन की मेज पर रखी ।	६.५.२००७

मंत्रियों द्वारा दिये गये वक्तव्य

उक्त अवधि में सम्बन्धित मंत्रियों द्वारा निम्नलिखित वक्तव्य दिया गया :--

क्रमसंख्या	विषय	वक्तव्य / शोधन वक्तव्य दिये जाने की तिथि
१	२	३
१	क्वीन मेरी अस्पताल , के० जी० एम० सी० , लखनऊ में व्याप्त गंदगी, भ्रष्टाचार एंव सफाई तथा कीटनाशक छिड़काव के सम्बन्ध में श्री अजय कुमार उर्फ विशाल वर्मा, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक ५दिसम्बर,२००६ को नियम १११ के अर्न्तगत दी गई सूचना पर वक्तव्य ।	१७.२.२००७

समितियों का प्रतिवेदन

उक्त अवधि में निम्नलिखित समितियों के प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत किये गये :––

क्रमसंख्या	प्रतिवेदन	प्रस्तुत किये जाने की तिथि
१	२	३
	श्री राकेश सिंह राणा , सदस्य विधान परिषद् ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति (२००६ – २००७) का "उन्तालिसवां प्रतिवेदन" जो ग्राम देहुली , थानान्जसराना , जनपद – मैनपुरी में दिनांक १८ नवम्बर, १९८१ को हुई २४ हरिजनों की निमर्म हत्या से सम्बन्धित दसवें प्रतिवेदन में की गयी संस्तुतियों के कार्यान्वयन से सम्बन्धित प्रतिवेदन प्रस्तुत किया ।	२५.१.२००७
२	श्री जय सिंह यादव , सदस्य , विधान परिषद् ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एंव निगम संयुक्त समिति (२००६ – २००७) का तैतीसवां प्रतिवेदन,जो भारतके नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिर्पोट वर्ष १९७९–८०, १९८१ – ८१२ तथा १९८७–८८ (वाणिज्यिक) में उल्लिखित उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद (उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड) से सम्बन्धित प्रस्तरों पर आधारित है , प्रस्तुत किया	६.५.२००७

सरकारी प्रस्ताव

उच्च शिक्षा राज्य मंत्री ने दिनांक ६ मई, २००७ को निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत किया

"मौलाना मुहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, २००४ जो राज्य विधान मण्डल द्वारा पारित होने के उपरान्त संविधान के अनुच्छेद २०० के अनुसार राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचार के लिये आरक्षित रखा गया था, संविधान के अनुच्छेद २०१ के अधीन राष्ट्रपति के संदेश सहित पुनर्विचार हेतु प्राप्त हुआ है ।

चूँकि इस बीच वर्ष २००५ में इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु मुहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय अधिनियम, २००५ उत्तर प्रदेश के अधीनियम संख्या – १६ सन् २००६ के रूप में अधिनियमित हो चुका है , ऐसी स्थिति में मौलाना मुहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश विधेयक, २००४ की प्रासंगिकता नहीं रह गयी है, अतः मैं प्रस्ताव करता हूँ कि विधान परिषद् में लम्बित इस विधेयक को वापस लेने की अनुमति दी जाय ।"

(सदन ने उक्त प्रस्ताव पर अपनी सहमति प्रदान की)

मुख्य सचेतक की मान्यता

दिनांक १८ जनवरी, २००७ को श्री सभापति ने सदन को सूचित किया कि:–

१– श्री ओम प्रकाश शर्मा, गैर राजनीतिक शिक्षक दल ने अपने पत्र दिनांक १७ जनवरी, २००७ के द्वारा सूचित किया है कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् में शिक्षक दल के श्री जगवीर किशोरजैन, मुख्य सचेतक, शिक्षक दल विधान परिषद् होगें ।

सरकार से गठबंधन समाप्त

दिनांक १८ जनवरी, २००७ को श्री सभापति ने सदन को सूचित किया है कि :–

२– श्री कोकब हमीद, नेता , राष्ट्रीय लोकदल, विधान मण्डल नके अपने पत्र दिनांक १७ जनवरी, २००७ के द्वारा सूचित किया है कि राष्ट्रीय लोकदल का सरकार से गठबन्धन समाप्त हो गया है । अतः उन्हें प्रतिपक्ष में बैठने हेतु स्थान निर्धारित करें ।

३– श्री प्रमोद तिवारी, नेता , उ०प्र० विधान मण्डल, कांग्रेस दल ने अपने पत्र दिनांक १८ जनवरी, २००७ के द्वारा सूचित किया है कि उनकी पार्टी ने समाजवादी पार्टी सरकार से समर्थन वापस ले लिया है । अतः उन्हें विपक्ष में बैठने हेतु स्थान निर्धारित करें।

(श्री सभापति ने उपरोक्त पर अपनी अनुमति प्रदान की।)

सन् २००७ का द्वितीय सत्र

(२१ मई से २३ मई, २००७ तक)

विधान परिषद् में दलीय नेताओं की सूची

क्रमसं०	दल का नाम	दलीय नेता के नाम
१–	समाजवादी पार्टी	श्री अहमद हसन (नेता, विरोधी दल)
२–	भारतीय जनता पार्टी	डा० नैपाल सिंह "प्रो०"
३–	बहुजन समाज पार्टी	श्री कमलाकान्त गौतम
४–	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस{आई}	श्री नसीब पठान (उप नेता)
५–	राष्ट्रीय लोकदल	श्री मुन्ना सिंह चौहान
६–	समाजवादी जनता पार्टी (राष्ट्रीय)	श्री रवि शंकर सिंह "पप्पू"
७–	शिक्षक दल { गैर राजनीतिक }	श्री ओम प्रकाश

अनुक्रमणिका

क्रम–संख्या	विषय	पृष्ठ संख्या
१	विधान परिषद् का द्वितीय सत्र	२१–२७
२	अधिष्ठाता मण्डल	२८
३	श्री राज्यपाल का अभिभाषण	२९
४	प्रश्न	३०
५	सूचनाएं	३१
६	विभिन्न दलों के माननीय सदस्यों की दलीय स्थिति	३२
७	माननीय सदस्यों की दलीय सूची	३३–३४

(उत्तर प्रदेश का मंत्रिमंडल पुर्नगठित होने के फलस्वरूप उत्तर प्रदेश विधान मण्डल के एक साथ समवेत् दोनों सदनों के सदस्यों को दिनांक २१ मई, २००७ को पूर्वाहन् ११–०० बजे विधान सभा मण्डप में महामहिम राज्यपाकल, श्री टी०वी० राजेस्वर द्वारा सम्बोधित किया गया)

विधान परिषद् का द्वितीय सत्र

उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के वर्ष २००७ का द्वितीय सत्र नया मंत्रिमंडल गठन होने के पश्चात् दिनांक २१ मई, २००७ को प्रारम्भ हुआ तथा उसकी बैठकें दिनांक २३ मई, २००७ तक चलीं। दिनांक २३ मई, २००७ को सत्र अनिश्चितकाल के लिये स्थगित हुआ तथा उसका सत्रावसान दिनांक २५ मई, २००७ को हो गया । तत्सम्बन्धी अधिसूचना दिनांक २८ मई, २००७ को जारी की गई ।

उक्त अवधि में परिषद् की कुल ३ बैठकें हुई, जिनका विवरण इस प्रकार है :—

मई, २००७ २१,२२, व २३ = कुल ३ दिन

कुल =३ दिन

श्री राज्यपाल का अभिभाषण

उत्तर प्रदेश के महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण उत्तर प्रदेश विधान मण्डल के वर्ष २००७ के द्वितीय सत्र के लिये दिनांक २१ मई, २००७ को उत्तर प्रदेश विधान मण्डल के एक साथ समवेत दोनों सदनों के सदस्यों के समक्ष दिया गया था, जिसे उसी दिन की विधान परिषद् की बैठक में माननीय सभापति, विधान परिषद् द्वारा प्रतिवेदित किया गया । महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव श्री राम चन्द्र त्यागी, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक २२ मई, २००७ को सदन में प्रस्तुत किया गया तथा श्री श्रीनाथ , सदस्य, विधान परिषद् द्वारा उसका समर्थन किया गया । श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव पर दिनांक २२ व २३ मई, २००७ काके चर्चा हुई । दिनांक २३ मई, २००७ को महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के प्रति धन्यवाद का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

प्रश्न

द्वितीय सत्र (२००७) दिनांक १६ मई, २००७ से दिनांक २२ मई, २००७ तक प्रश्नों की सूचना

१– कुल प्राप्त प्रश्नों की संख्या– १००

२– कुल स्वीकार प्रश्नों की संख्या– ५७

अल्पसूचित प्रश्न

प्राप्त प्रश्नों की संख्या	अल्पसूचित रूप में स्वीकार प्रश्नों की संख्या	अल्पपसूचित से तारांकित रूप में स्वीकार प्रश्नों की संख्या	अल्पपसूचित से अतारांकित रूप में स्वीकार प्रश्नों की संख्या
५६	१४	१७	४

तारांकित प्रश्न

प्राप्त प्रश्नों की संख्या	स्वीकार प्रश्नों की संख्या	तारांकित प्रश्न से अतारांकित रूप में स्वीकार
३७	१३	६

अतारांकित प्रश्न

प्राप्त प्रश्नों की संख्या	स्वीकार प्रश्नों की संख्या
७	३

सूचनायें

(क) ध्यानाकर्षण प्रस्ताव (नियम–११५)

नियम ११५ के अर्न्तगत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की कुल २६ सूचनायें प्राप्त हुई, जिनमें से १५ सूचनायें शासन के पास आवश्यक कार्यवाही हेतु, १३ सूचनायें व्यपगत एंव १ सूचना अग्राह्य हुई ।

(ख) कार्य स्थगन प्रस्ताव (नियम १०५)

नियम १०५ के अर्न्तगत कार्य स्थगन प्रस्ताव की कुल १८ सूचनायें प्राप्त हुई, जिनमें से ३ सूचनायें शासन के पास आवश्यक कार्यवाही हेतु, ७ सूचनाएं व्यपगत एंव ६ सूचनायें, अग्राह्य हुई ।

(ग) अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों पर थोड़े समय के लिये चर्चा (नियम–११०)

नियम ११० के अर्न्तगत कुल १२ सूचनायें प्राप्त हुई, जिनमें से १० सूचनायें शासन के पास आवश्यक कार्यवाही हेतु तथा २ सूचनायओं पर वक्तव्य हेतु, संदर्भित किया ।

(घ) लोक महत्व के विषय पर वक्तव्य (नियम–१११)

नियम १११ के अर्न्तगत कुल १६ सूचनायें प्राप्त हुई, जिनमें से १७ सूचनायें शासन के पास आवश्यक कार्यवाही हेतु, १ सूचना इसी नियम की पूर्व सूचना के साथ सम्बद्ध तथा १ सूचना अस्वीकार हुई ।

(ड.) औचित्य का प्रश्न (नियम ३६ "क")

औचित्य के प्रश्न की कुल २ सूमचनायें प्राप्त हुई, जो इसी नियमत की पूर्व सूचना के साथ सम्बद्ध की गई ।